



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
राजस्थान सरकार



क्रमांक: JDA/2020-21/BPAS/212

दिनांक: 09/02/2021

विषय: - भूखण्ड संख्या/ खसरा नम्बर KHASRA NO 58, स्कीम NIJI KHATEDARI, तहसील जयपुर, जयपुर के प्रस्तावित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत।

महोदय,

श्री/श्रीमती VIVEK SETHIA S/O SH KAMAL SETHIA फर्म का नाम CITY WONDER COLONIZERS LLP निवासी R/O 801, WESTREN HEIGHTS S-21, SHYAM NAGAR JAIPUR

आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 05/08/2020 के संदर्भ में भूखण्ड संख्या/ खसरा नम्बर KHASRA NO 58, स्कीम NIJI KHATEDARI, ग्राम धौवास, तहसील जयपुर, में स्थित भूखण्ड (क्षेत्रफल 15486.78 वर्गमीटर) के RESIDENTIAL के भवन मानचित्र अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये गये थे, उनकी स्वीकृति भवन मानचित्र समिति (बीपी) की 237 वीं बैठक दिनांक 01/02/2021 के निर्णयानुसार निम्न शर्तों के साथ दी जाती है:-

1. यह भवन अनुज्ञा दिनांक 15/07/2027 तक प्रभावी है।
2. भवन निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही किया जावेगा तथा किसी भी प्रकार का उल्लंघन (डेवियेशन) नहीं किया जायेगा।
3. भूखण्ड के स्वामी एवं मानचित्र तैयार करने वाले तकनीकीविज्ञ का कर्तव्य होगा कि वो यह सुनिश्चित कर ले कि स्वीकृति मानचित्र प्रचलित मास्टर प्लान/जोनल प्लान के अनुरूप है यदि कोई उल्लंघन जानकारी में नहीं है, प्राधिकरण को अधिकार होगा कि किसी स्थिति में उल्लंघन की जानकारी होने पर भवन मानचित्रों को दी गयी अनुज्ञा रद्द/बदली जा सकती है तथा प्रार्थी प्राधिकरण में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।
4. एकीकृत भवन विनियम 2017 के विनियम संख्या 8.11.2 के अनुसार अपशिष्ट जल का शुद्धिकरण एवं रिसाईकिलिंग हेतु भवन विनियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
5. एकीकृत भवन विनियम 2017 के विनियम संख्या 8.11.4 के अनुसार ठोस कचरा निस्तारण हेतु भवन विनियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
6. एकीकृत भवन विनियम 2017 के विनियम संख्या 8.11.5 के अनुसार सौर ऊर्जा संयंत्र संबंधी भवन विनियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी होगी।
7. एकीकृत भवन विनियम 2017 के विनियम संख्या 10.3 के अनुसार भवन में विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संबंधित विद्युत वितरण एजेंसी के प्रावधानों की पालना एवं एनर्जी कन्जर्वेशन बिल्डिंग कोड के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जानी



Signature valid

Digitally Signed by OM PRAKASH
PAREEK
Designation: ACTP
Date: 2021.02.09 18:34:36 IST
Reason: Approved
Location: TEST

होगी।

8. आप द्वारा एकीकृत भवन विनियम 2017 की धारा 15.2 के अनुसार भवन निर्माण प्रारम्भ करते समय एक सूचना पट्ट मौके पर लगाया जायेगा। जिसमें संबंधित आयुक्त/उपायुक्त संबंधित जोन व प्रवर्तन अधिकारी के टेलीफोन नम्बर इत्यादि अंकित किये जाने होंगे व अनुमोदित मानचित्र की सूचना व अनुमोदन की शर्तें अंकित की जायेगी। निर्माण के दौरान अनुमोदित मानचित्र की एक प्रति आवश्यक रूप से निर्माणकर्ता द्वारा मौके पर रखी जायेगी।
9. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आप उपायुक्त (जोन-७) प्राधिकरण को निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रस्तुत करेंगे।
10. आप द्वारा एकीकृत भवन विनियम 2017 की धारा 15.3 के अनुसार भवन निर्माण द्वारा प्लिन्थ लेवल तक का निर्माण पूर्ण होने की सूचना निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक रूप से उपायुक्त (जोन-७) को दी जानी होगी, यदि इसकी अनुपालना भवन निर्माता द्वारा नहीं की जाती है तो जारी अनुज्ञा को वापस ले लिया जावेगा।
11. एकीकृत भवन विनियम 2017 की धारा 15.5 के अनुसार भवन विनियम के अपेक्षाओं के अनुरूप भवन निर्माण करने की जिम्मेदारी भवन निर्माण अनुज्ञाधारी की होगी।
12. उक्त स्वीकृति के कारण यदि जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को किसी न्यायालय, सक्षम अधिकारी तथा नगर भूमि (अधिकतम सीमा एवं विनियम) अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में कोई भी खर्च, नुकसान, मुआवजा देना पड़े या देने योग्य हो तो प्रार्थी उनकी इस क्षति को पूर्ण करने के लिए बाध्य होगा।
13. दरवाजे एवं खिड़कियाँ इस प्रकार लगाए जायेंगे कि वो सड़क की ओर निकले हुए नहीं हों।
14. भूस्वामी प्रत्येक मंजिल के लिए स्वीकृत संस्थानिक ईकाई से अधिक का निर्माण नहीं करेगा।
15. भूस्वामी भवन के परिसर को स्वीकृत उपयोग के अनुसार ही उपयोग में लेगा।
16. तकनीकीविज्ञ के निरीक्षण में स्वामी निर्माण कार्य करवायेगा जिसके संबंध में सूचना प्राधिकरण को पूर्व में देनी होगी। यदि तकनीकीविज्ञ को बदला जाता है तो इसकी सूचना 48 घण्टे के अन्दर यथोचित प्रमाण-पत्र में प्राधिकरण को देनी होगी।
17. स्वीकृत मानचित्र में विभिन्न वर्गों के लिए फ्लेट्सों की संख्या के साथ संबंधित कन्स्ट्रक्शन फर्म का नाम निर्माण प्रारम्भ करने की दिनांक व निर्माण पूर्ण करने की संभावित अवधि मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्टरूप से दर्शाने होंगे।
18. आवेदक द्वारा पार्किंग क्षेत्र की पालना एकीकृत भवन विनियम 2017 के विनियम 10.1.16 के अनुसार सुनिश्चित की जानी होगी।
19. भवन परिसर में आगंतुकों की पार्किंग करवाई जाए तथा आगंतुकों हेतु निःशुल्क वाहन पार्किंग का बोर्ड लगवाया जावे।
20. प्राईवेट डवलपर्स (निजी विकासकर्ता) को मौके पर क्वालिटी कन्ट्रोल लैब स्थापित करनी होगी ताकि निर्माण कार्य की गुणवत्ता की समय-समय पर जाँच की जाए।
21. स्वीकृत मानचित्र मौके पर उपयुक्त स्थान पर बोर्ड लगाकर उस पर स्पष्टरूप से दर्शाने होंगे।



Signature valid

Digitally Signed by OM PRAKASH
PAREEK
Designation : ACTP
Date: 2021.02.09 18:34:36 IST
Reason: Approved
Location: TEST

22. निर्माण स्थल पर स्वीकृति का विवरण अर्थात अनुमोदित मानचित्र, उपलब्ध पार्किंग की सूचना एवं भवन में सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) का नक्शा भी प्रदर्शित (Display) उपयुक्त स्थान पर प्रदर्शित किया जावे।

23. भवन का उपयोग प्रारंभ होने पर एक केयर टेकर की नियुक्ति की जावे जिसके पास भवन का मानचित्र, सुरक्षा एवं निकास प्लान (Escape Plan) उपलब्ध रहें। इस प्रकार नियुक्त केयर टेकर के मोबाईल नंबर एवं Land Line Number भी लिये जाकर पुलिस आयुक्त जयपुर महानगर व उपायुक्त जोन को सूचना उपलब्ध करवाई जावे ताकि किसी भी दुर्घटना की स्थिति में बचाव कार्य प्रभावी रूप से किये जा सकें।

24. एकीकृत भवन विनियम 2017 की धारा 18.3 की अनुपालना में "गलत तथ्यों पर प्राप्त की गई अथवा तथ्यों को छुपाकर प्राप्त की गई स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी एवं ऐसी निर्माण स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को दोषी माना जायेगा।

25. प्रश्नगत प्रकरण किसी भी न्यायालय में यदि लंबित है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की ही होगी। यदि मानचित्र जारी होने के पश्चात यह अवगत हुआ कि किसी भी माननीय न्यायालय में प्रकरण लंबित है अथवा विपरीत निहित है तो मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।

26. अनुमोदित भवन मानचित्रों को भवन निर्माण शुरू किये जाने के समय भवन निर्माता द्वारा एक बोर्ड पर सम्पूर्ण ब्यौरा सहित जो पठनीय हो, को ऐसे स्थल पर (मुख्य सड़क की ओर) लगाया जावे, जिससे सभी लोगों को निर्मित किये जाने वाले भवन के अनुमोदन की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।

27. भवन निर्माण के समय निर्माण सामग्री से आसपास के भवनों के निवासकर्ताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस हेतु भवन निर्माण के दौरान चारों ओर पर्दे लगवाये जावें।

28. भवन मानचित्र इस शर्त के साथ जारी किये जाते हैं कि आप द्वारा परियोजना के पूर्णता प्रमाण पत्र के आवेदन के साथ अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं पर्यावरण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र नगरीय निकाय में जमा कराना होगा, उसके पश्चात ही पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा।

29. निर्मित भवन के प्रवेश द्वार के पास भवन में अनुमोदित व उपलब्ध चार पहिया व दो पहिया वाहनों के पार्किंग की सूचना का बोर्ड (डिस्प्ले) लगवाया जावे।

30. एकीकृत भवन विनियम, 2017/रिको भवन विनियम की अनुपालना में भवन में भूकम्परोधी प्रावधान रखा जाना सुनिश्चित किया जावे।

31. उपरोक्त शर्त संख्या 14 में उल्लेखित "संस्थानिक" के स्थान पर ग्रुप हाउसिंग पड़ा जावे।

32. प्रश्नगत भूखण्ड के भवन मानचित्र ऑफलाईन जारी किये जा रहे हैं अतः सिस्टम द्वारा यदि ऑनलाईन भवन मानचित्र जारी किये जाते हैं तो वह मान्य नहीं होंगे।

33. ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. के 64 आवास स्लिट लोकेषन (अन्यत्र स्थान) खसरा नम्बर 26/1338, 28, 29, नांगल रोड़, झोटवाड़ा, जयपुर में मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 के प्रावधान 3ए के तहत अनुमोदित परियोजना पर प्रस्तावित किये गये हैं। ई.डब्ल्यू.एस./एल.आई.जी. के 64 आवासों का निर्माण, स्वीकृति की दिनांक से 2 वर्ष के भीतर तैयार कर सूचना जविप्रा को



Signature valid

Digitally Signed by OM PRAKASH
PAREEK
Designation : ACTP
Date: 2021.02.09 18:34:36 IST
Reason: Approved
Location: TEST

दी जानी होगी अन्यथा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक,
भवन भानुचित्र समिति (बीपी)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



Signature valid

Digitally Signed by OM PRAKASH
PAREEK
Designation : ACTP
Date: 2021.02.09 18:34:36 IST
Reason: Approved
Location: TEST

नोट: यह एक डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र है और इसके लिए किसी भौतिक हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

१५. २००० की वारा १५
 १६. २००० की वारा १५
 १७. २००० की वारा १५
 १८. २००० की वारा १५
 १९. २००० की वारा १५
 २०. २००० की वारा १५

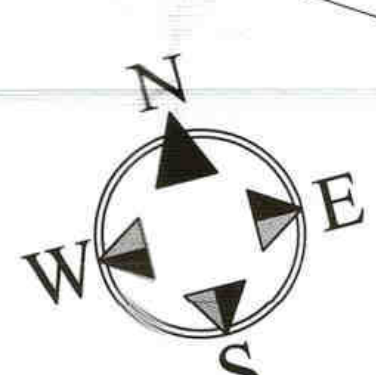
approval should get a
construction check-off at plant
level before proceeding to

approval should get a
construction check-off at plant
level before proceeding to

The diagram illustrates a cross-section of a waste harvesting pit. It shows a series of layers and components with the following dimensions and labels:

- Top Layer:** 1.0m thick, labeled "1st pit".
- Second Layer:** 1.0m thick, labeled "2nd pit".
- Third Layer:** 1.0m thick, labeled "uncovered composting layer".
- Fourth Layer:** 1.0m thick, labeled "10.0m".
- Fifth Layer:** 1.0m thick, labeled "10.0m".
- Sixth Layer:** 1.0m thick, labeled "10.0m".
- Bottom Layer:** 1.0m thick, labeled "10.0m".
- Labels:** "GL" (Ground Level) is indicated at several points. "Waste water line" is shown at the bottom right.

SECTION THROUGH A W. HARVESTING PITS



RETAIL COMMERCIAL (1 % MINIMUM)
PERMISSIBLE (MAXIMUM) (5%) = 2511.22 Sq.mt.
ACHIEVED (1.32 %) = 664.15 Sq.mt.
CLUB (2% MINIMUM) / = 1500.00 Sq.mt.
PERMISSIBLE (MAXIMUM) (5%) = 2511.22 Sq.mt.
ACHIEVED (6.35%) = 3193.33 Sq.mt.

AREA CALCULATION		GRASS (NO. MTR.)	BLOCK - B (PART-I)		BUILT-UP AREA		B.A.R.	CLUB HOUSE
S.NO.	FLOWER	GREEN	FIRST STAIR	PARKING	CHAIR	LIFT WELL	SERVICE SHAFT	
1	Lower Basement	2753.11						2753.11
2	Upper Basement							
3	Ground Floor	1653.67	14.05	857.70		17.13	1.72	761.07
4	1st Floor	1541.32	14.05	0.00	0.00	17.13	2.69	1507.02
5	2nd Floor	1474.29	14.05	0.00	0.00	17.13	2.69	1439.99
6	3rd Floor	1541.32	14.05	0.00	0.00	17.13	2.69	1507.02
7	4th Floor	1474.29	14.05	0.00	0.00	17.13	2.69	1439.99
8	5th Floor	1541.32	14.05	0.00	0.00	17.13	2.69	1507.02
9	6th Floor	1474.29	14.05	0.00	0.00	17.13	2.69	1439.99
10	7th Floor	1541.32	14.05	0.00	0.00	17.13	2.69	1507.02
11	8th Floor	1474.29	14.05	0.00	0.00	17.13	2.69	1439.99
12	9th Floor	1541.32	14.05	0.00	0.00	17.13	2.69	1507.02
13	10th Floor	1474.29	14.05	0.00	0.00	17.13	2.69	1439.99
14	11th Floor	1541.32	14.05	0.00	0.00	17.13	2.69	1507.02
15	12th Floor	1474.29	14.05	0.00	0.00	17.13	2.69	1439.99
16	MDM STAIR							207.49
17	TOTAL	75469.04						75469.04

[illegible]

JDA/2020-21/BPAS-212 दिनांक 09/2/2021
 प्रमुपादित


 उपकर निर्माण (DP)
 अधिकारी, जयपुर
 अधिकारी नगर निर्माण
 नगर विकास विभाग
 जयपुर विकास अधिकारी, जयपुर

SHRI KRISHNAN
A SCALE = 1:125

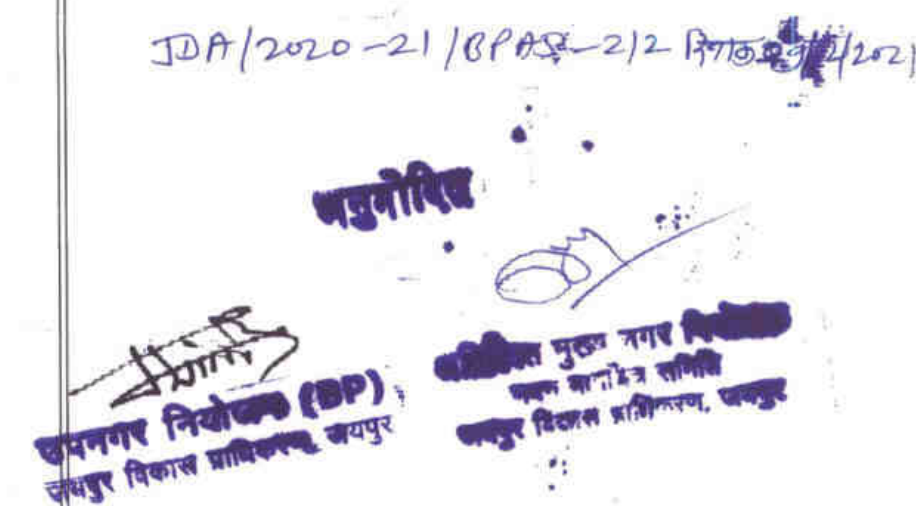
OWNER
For City Wonder Colonizers LLP

Authorized Signatory

ARCHITECT :-

 **SPACE GRID**

C-49, VIDYA APARTMENT, PARAS MARG,
BAPU NAGAR, NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAIPUR-302015
PH-09314918766, 0141-4005506 (0)
Email:-info.spacegrid@gmail.com



नगरपालिका बाहिरको क्षेत्रमा रहेको यस जग्गाको विकास गर्न निम्नलिखित सर्तहरूको अधीनमा रहेको छः

१. यस जग्गाको विकास गर्न निम्नलिखित सर्तहरूको अधीनमा रहेको छः

२. यस जग्गाको विकास गर्न निम्नलिखित सर्तहरूको अधीनमा रहेको छः

३. यस जग्गाको विकास गर्न निम्नलिखित सर्तहरूको अधीनमा रहेको छः

४. यस जग्गाको विकास गर्न निम्नलिखित सर्तहरूको अधीनमा रहेको छः

५. यस जग्गाको विकास गर्न निम्नलिखित सर्तहरूको अधीनमा रहेको छः

६. यस जग्गाको विकास गर्न निम्नलिखित सर्तहरूको अधीनमा रहेको छः

७. यस जग्गाको विकास गर्न निम्नलिखित सर्तहरूको अधीनमा रहेको छः

८. यस जग्गाको विकास गर्न निम्नलिखित सर्तहरूको अधीनमा रहेको छः

९. यस जग्गाको विकास गर्न निम्नलिखित सर्तहरूको अधीनमा रहेको छः

१०. यस जग्गाको विकास गर्न निम्नलिखित सर्तहरूको अधीनमा रहेको छः

OTHER'S LAND

OTHER'S LAND

SECTOR ROAD 200' - 0" WIDE

UPPER BASEMENT FLOOR PLAN

JDA APPROVED

SECTOR ROAD 60' - 0" WIDE

IDN/2020-21/BRAC-212- प्रोडि 09/12/2021

प्रमाणित

प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित

प्रमाणित प्रमाणित प्रमाणित

सर्वप्रथम विचार्यमाण असलेल्या या प्रकल्पाच्या बाबतच्या सर्व माहितीचा अंदाज घ्यावा. या अंदाजात या प्रकल्पाच्या बाबतच्या सर्व माहितीचा अंदाज घ्यावा. या अंदाजात या प्रकल्पाच्या बाबतच्या सर्व माहितीचा अंदाज घ्यावा.

या प्रकल्पाच्या बाबतच्या सर्व माहितीचा अंदाज घ्यावा. या अंदाजात या प्रकल्पाच्या बाबतच्या सर्व माहितीचा अंदाज घ्यावा. या अंदाजात या प्रकल्पाच्या बाबतच्या सर्व माहितीचा अंदाज घ्यावा.

या प्रकल्पाच्या बाबतच्या सर्व माहितीचा अंदाज घ्यावा. या अंदाजात या प्रकल्पाच्या बाबतच्या सर्व माहितीचा अंदाज घ्यावा. या अंदाजात या प्रकल्पाच्या बाबतच्या सर्व माहितीचा अंदाज घ्यावा.

SHEET NO-04

OTHER'S LAND

SECTOR ROAD 200' - 0" WIDE

GROUND FLOOR PLAN BLOCK - B (PART-II)

GROUND FLOOR PLAN BLOCK - B (PART-I)

GROUND FLOOR PLAN BLOCK - A

OTHER'S LAND

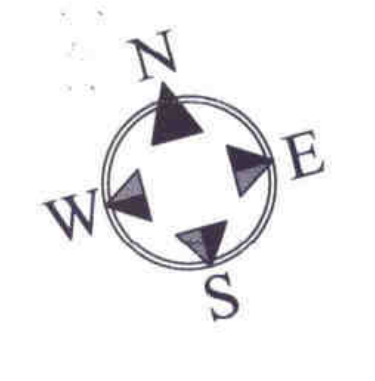
LANDSCAPE AREA = 2555.71-SQ.MT. (AT PODIUM)

BLOCK - A

GROUND FLOOR PLAN BLOCK - B (PART-III)

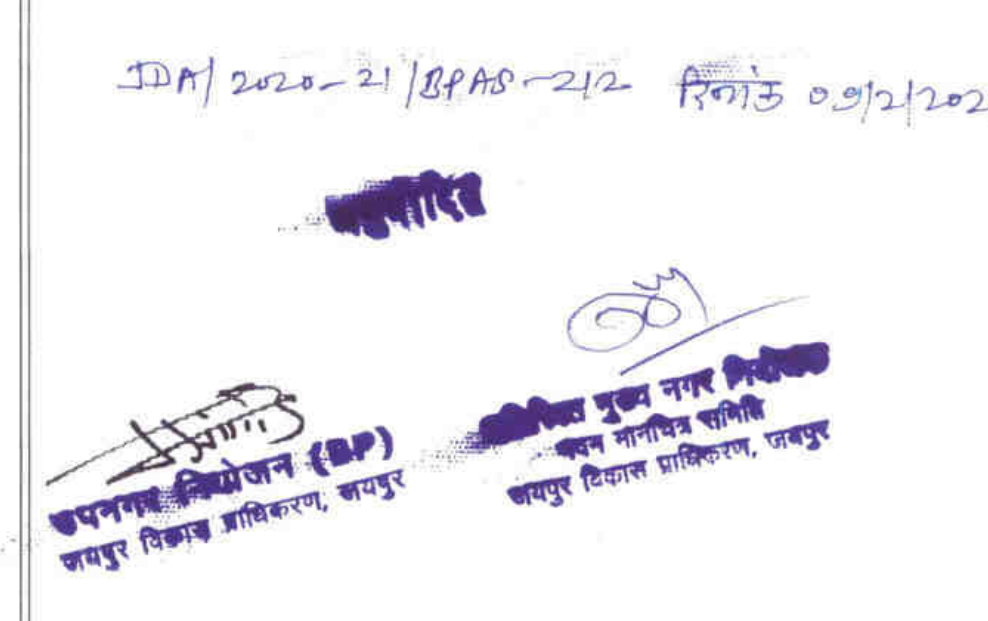
JDA APPROVED

SECTOR ROAD 60' - 0" WIDE

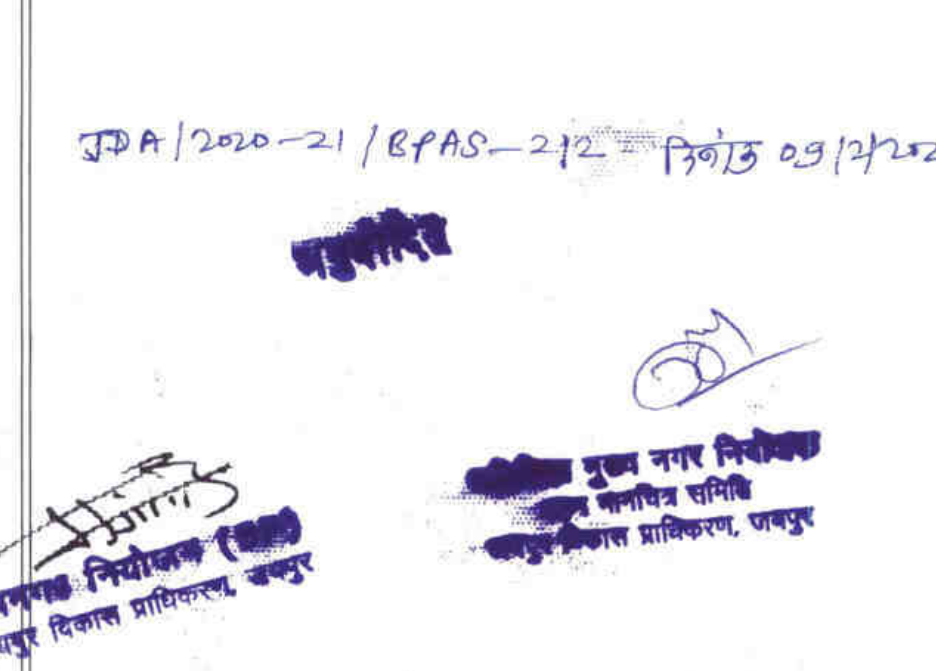


JDA 2020-21/8FAS-212- तारीख २०/१२/२०२१
प्रमाणित
श्री कृष्ण आर्किटेक्चर्स (PVT) लि.
जिल्हा अभियंता कार्यालय, जयपूर









उपस्थित निरीक्षण (BP)
समस्त विवरण प्राप्ति, जयपुर

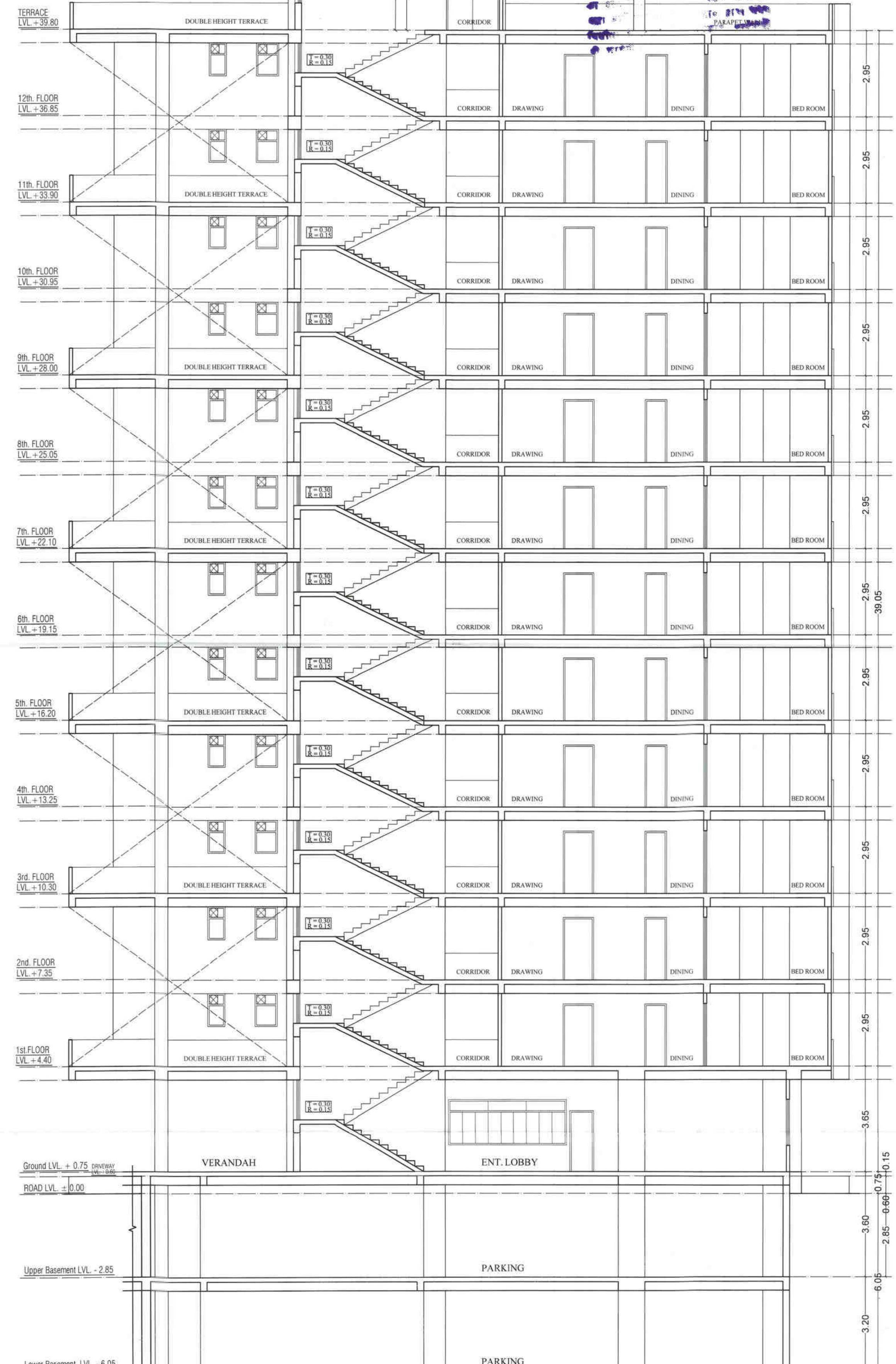
वर्षा पानी का निचोड़
वर्षा पानी का निचोड़
वर्षा पानी का निचोड़

वर्षा पानी का निचोड़
वर्षा पानी का निचोड़
वर्षा पानी का निचोड़

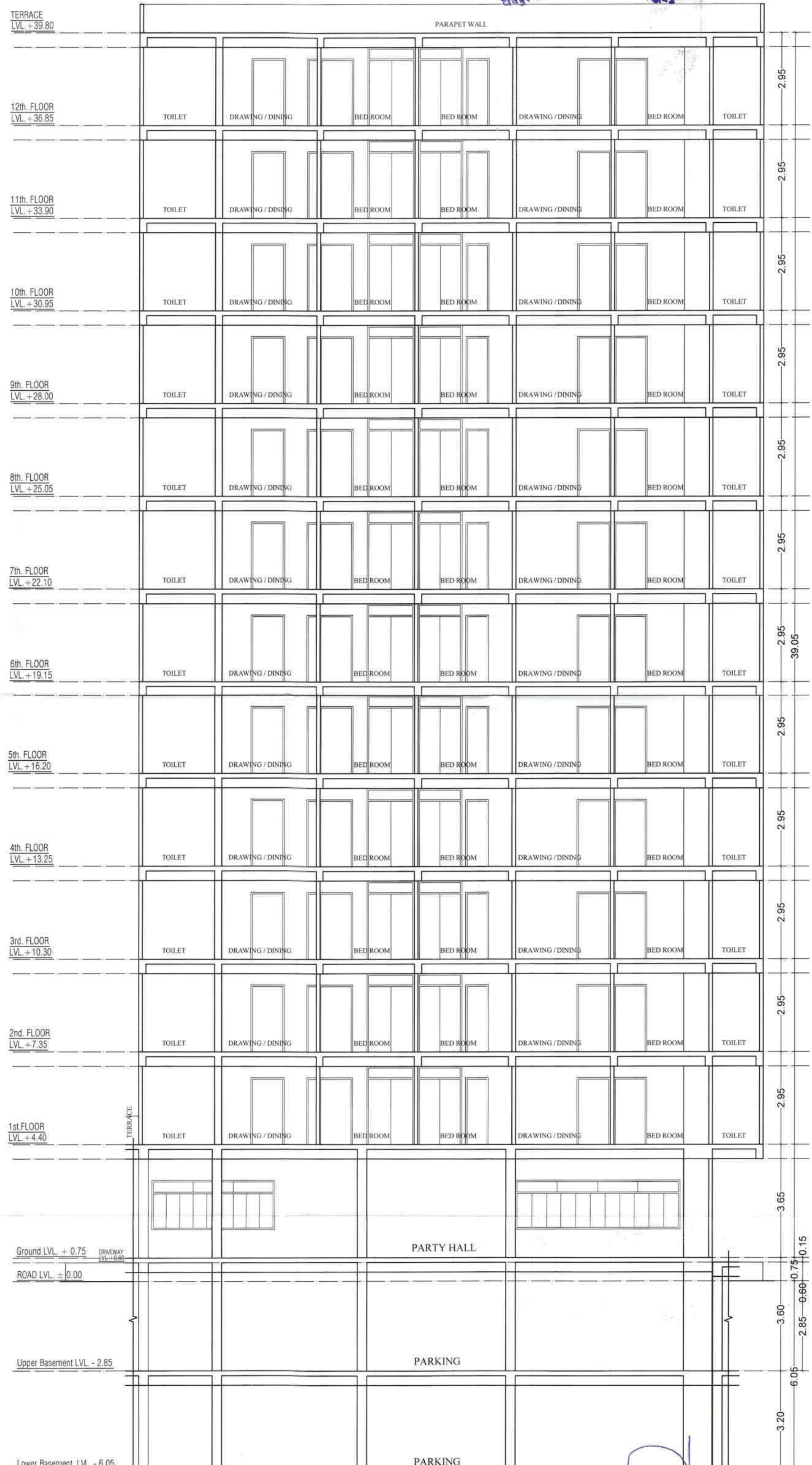
वर्षा पानी का निचोड़
वर्षा पानी का निचोड़
वर्षा पानी का निचोड़

वर्षा पानी का निचोड़
वर्षा पानी का निचोड़
वर्षा पानी का निचोड़

वर्षा पानी का निचोड़
वर्षा पानी का निचोड़
वर्षा पानी का निचोड़



SECTION AT S1-S1 BLOCK - A



SECTION AT S2-S2 BLOCK - A

PROJECT :-

PROPOSED RESIDENTIAL (GROUP HOUSING PLOT)
SINGLE PATTI FLATS IN KHASRA NO. 58
AT VILLAGE - DHAWAS, TEH. - JAIPUR, DIST. - JAIPUR.

OWNER

For City Wonder Colonizers LLP
Authorized Signatory

SHRI K
ARCHITECTS

SPACE GRID
C-49, VIDYA APARTMENT, PARAS MARG,
BAPU NAGAR, NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAIPUR-302015
PH-09314918766, 0141-4005506 (O)
Email-info.spacegrid@gmail.com

SCALE = 1:100



PROJECT :-

PROPOSED RESIDENTIAL (GROUP HOUSING PLOT)
SINGLE PATTA FLATS IN KHASRA NO. 58
AT VILLAGE - DHAWAS, TEH. - JAIPUR, DIST. - JAIPUR.

OWNER

For City Wonder Colonizers: ULL
 [Signature]
 Authorized Signator

ARCHITECT :-

 **SPACE GRID**
C-49, VIDYA APARTMENT, PARAS MARG,
BAPU NAGAR, NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAIPUR-302015
PH-09314918766, 0141-4005506 (O)
Email:-info.spacegrid@gmail.com

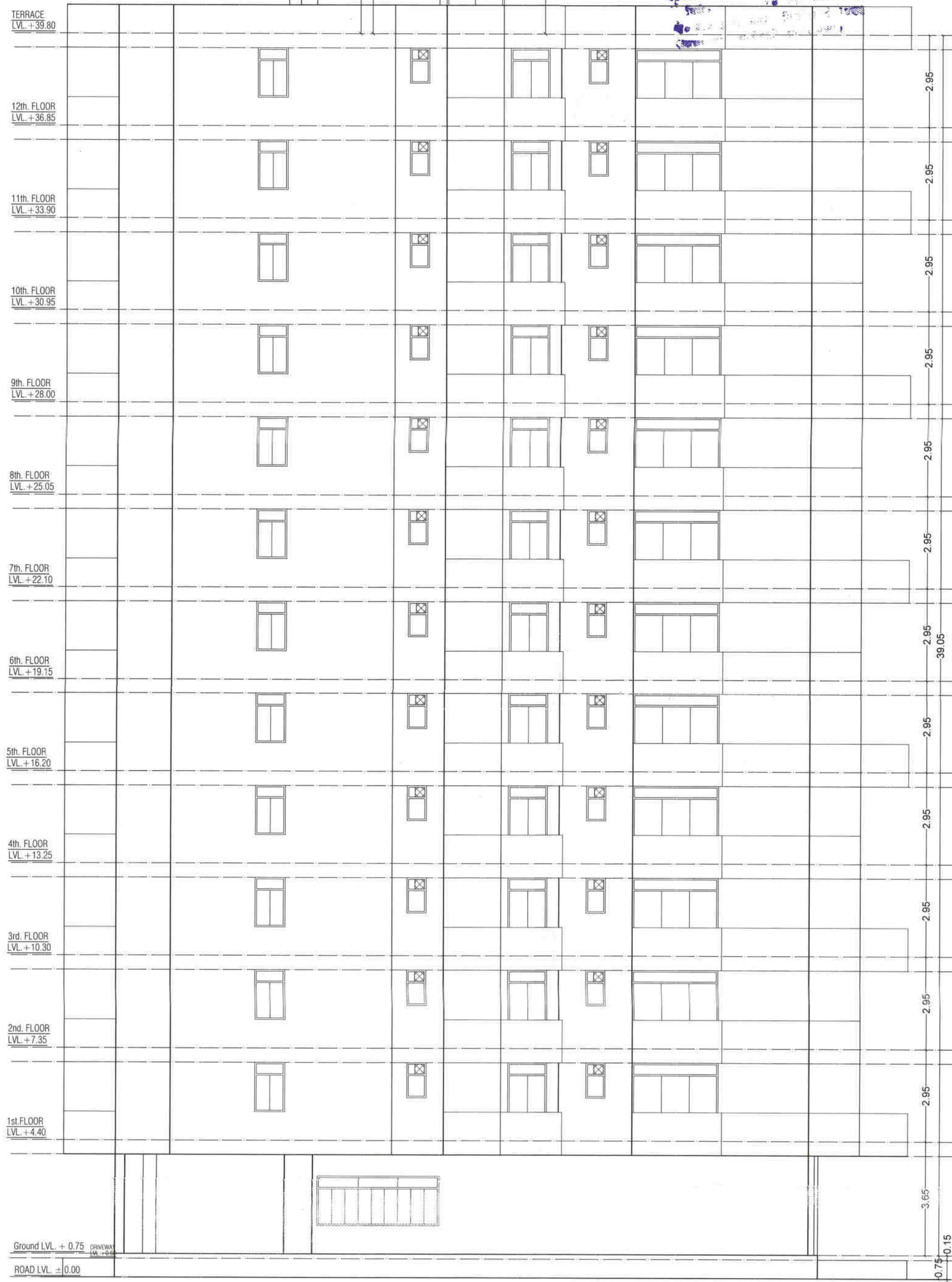
SCALE = 1:100

वस्तु विचार को ध्यान में रखकर
संरचनात्मक दृष्टि से सही ढंग से
काम किया जायेगा।
काम के दौरान सभी सुरक्षा
कानून का पालन किया जायेगा।
काम के समाप्ति पर सभी
कामों को सही ढंग से
सौंपा जायेगा।

सभी कार्य सही ढंग से
काम के दौरान सभी सुरक्षा
कानून का पालन किया जायेगा।
काम के समाप्ति पर सभी
कामों को सही ढंग से
सौंपा जायेगा।

सभी कार्य सही ढंग से
काम के दौरान सभी सुरक्षा
कानून का पालन किया जायेगा।
काम के समाप्ति पर सभी
कामों को सही ढंग से
सौंपा जायेगा।

सभी कार्य सही ढंग से
काम के दौरान सभी सुरक्षा
कानून का पालन किया जायेगा।
काम के समाप्ति पर सभी
कामों को सही ढंग से
सौंपा जायेगा।



BACK SIDE ELEVATION BLOCK - A



LEFT SIDE ELEVATION BLOCK - A

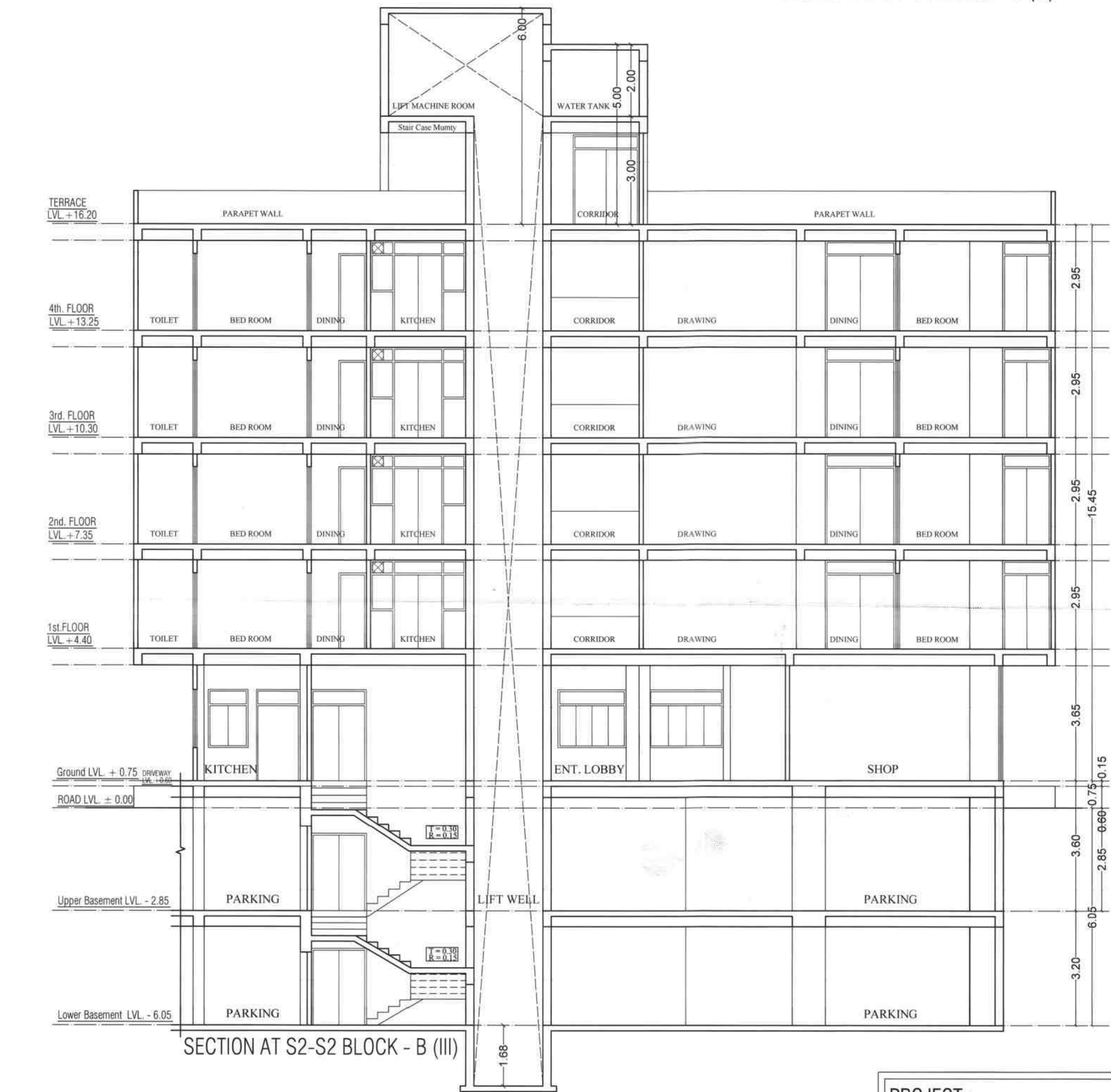
उपनगर नियोजन (BPM)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
श्री कृष्ण अर्किटेक्ट
जयपुर
SHEET NO-12
JDA/2020-21/8FAS-212 रिंग 53/2022

PROJECT :-
PROPOSED RESIDENTIAL (GROUP HOUSING PLOT)
SINGLE PATTI FLATS IN KHASRA NO. 58
AT VILLAGE - DHAWAS, TEH. - JAIPUR, DIST. - JAIPUR.

OWNER
For City Wonder Colonizers LLP
Authorized Signatory

ARCHITECT :-
SPACE GRID
C-49, VIDYA APARTMENT, PARAS MARG,
BAPU NAGAR, NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAIPUR-302015
PH-09314918766, 0141-4005506 (O)
Email:-info.spacegrid@gmail.com

SCALE = 1:100



PROJECT :-
PROPOSED RESIDENTIAL (GROUP HOUSING PLOT)
SINGLE PATTI FLATS IN KHASRA NO. 58
AT VILLAGE - DHAWAS, TEH. - JAIPUR, DIST. - JAIPUR.

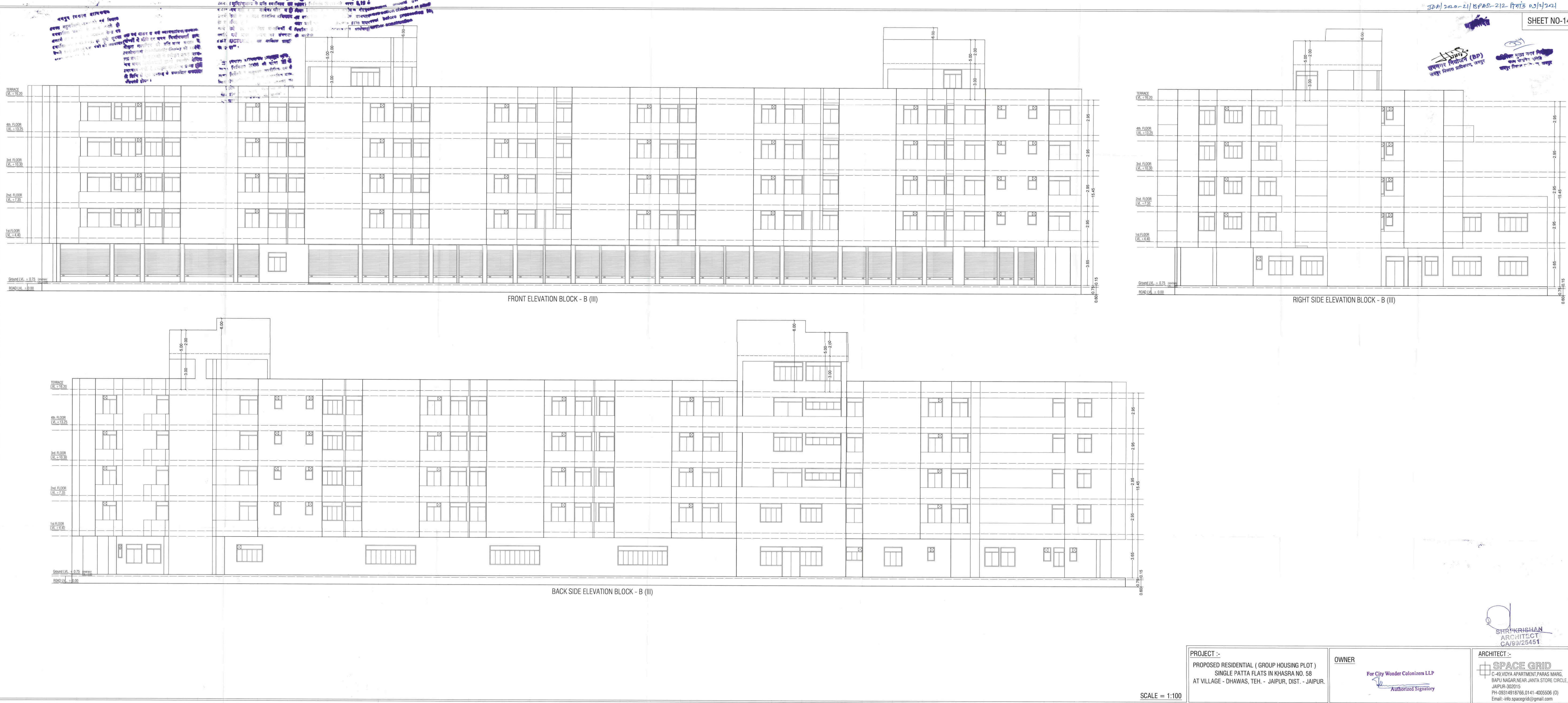
OWNER

For City Wonder Colonizers LLP
Authorized Signatory

ARCHITECT :-

SPACE GRID
C-49, VIDYA APARTMENT, PARAS MARG,
BAPU NAGAR, NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAIPUR-302015
PH-09314918766, 0141-4005506 (O)
Email:-info.spacegrid@gmail.com

SCALE = 1:100



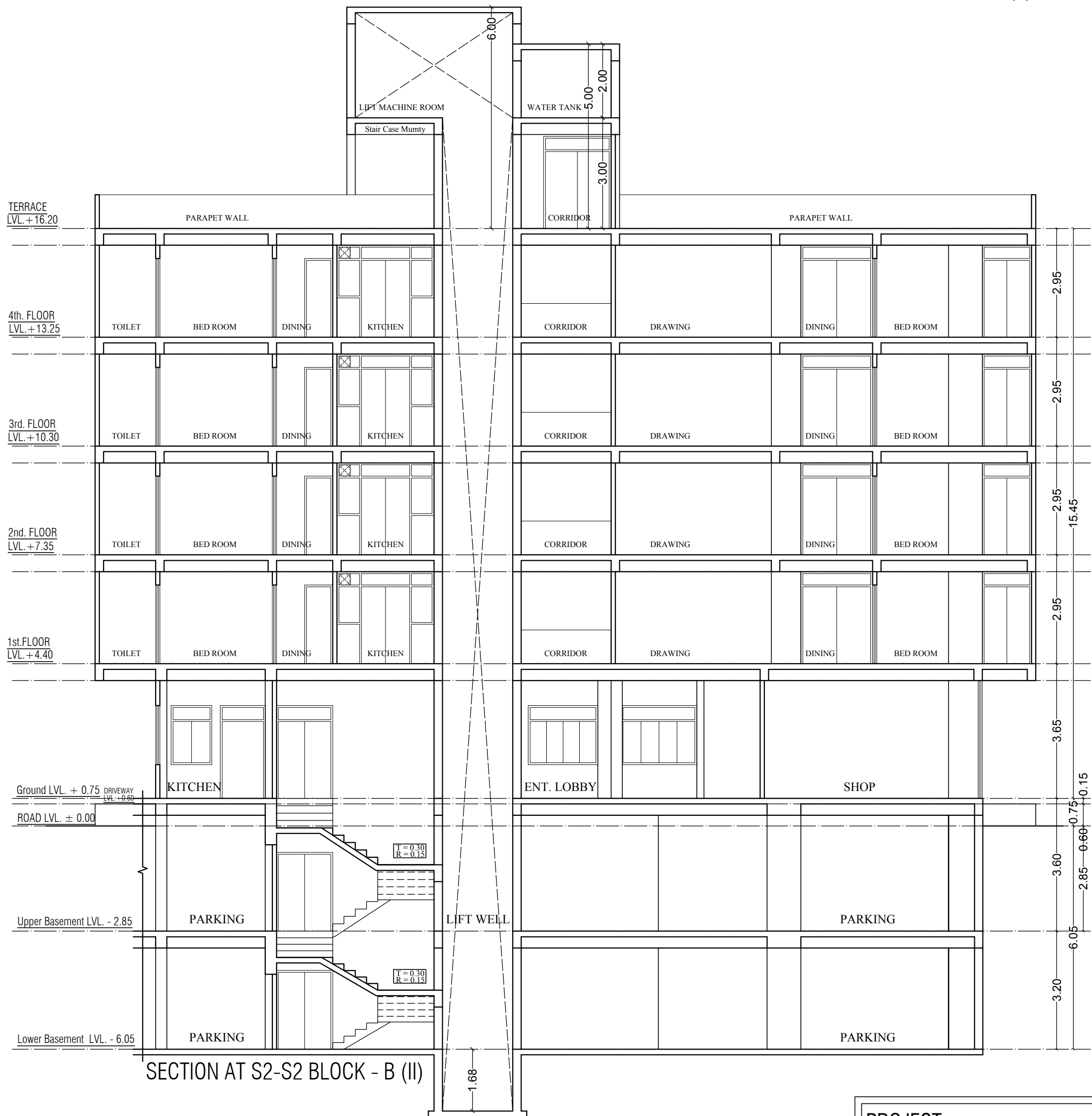
वस्तुनिरूपण विभाग
जयपुर, राजस्थान
प्रमाणित किया जाता है कि
यह नक्शा/चित्र/आलेख
सही और सत्य है।
दिनांक: 03/03/2021

श्री श्रेष्ठ कृष्ण अर्चिटेक्ट
आर्किटेक्ट
जायपुर, राजस्थान
प्रमाणित किया जाता है कि
यह नक्शा/चित्र/आलेख
सही और सत्य है।
दिनांक: 03/03/2021

श्री श्रेष्ठ कृष्ण अर्चिटेक्ट
आर्किटेक्ट
जायपुर, राजस्थान
प्रमाणित किया जाता है कि
यह नक्शा/चित्र/आलेख
सही और सत्य है।
दिनांक: 03/03/2021



SECTION AT S1-S1 BLOCK - B (II)



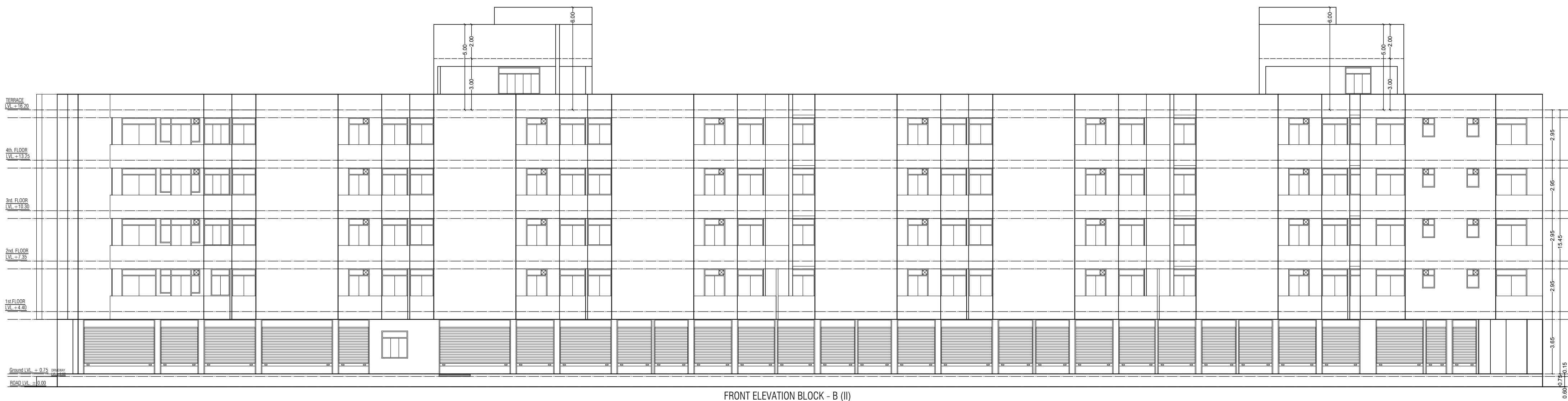
SECTION AT S2-S2 BLOCK - B (II)

SCALE = 1:100

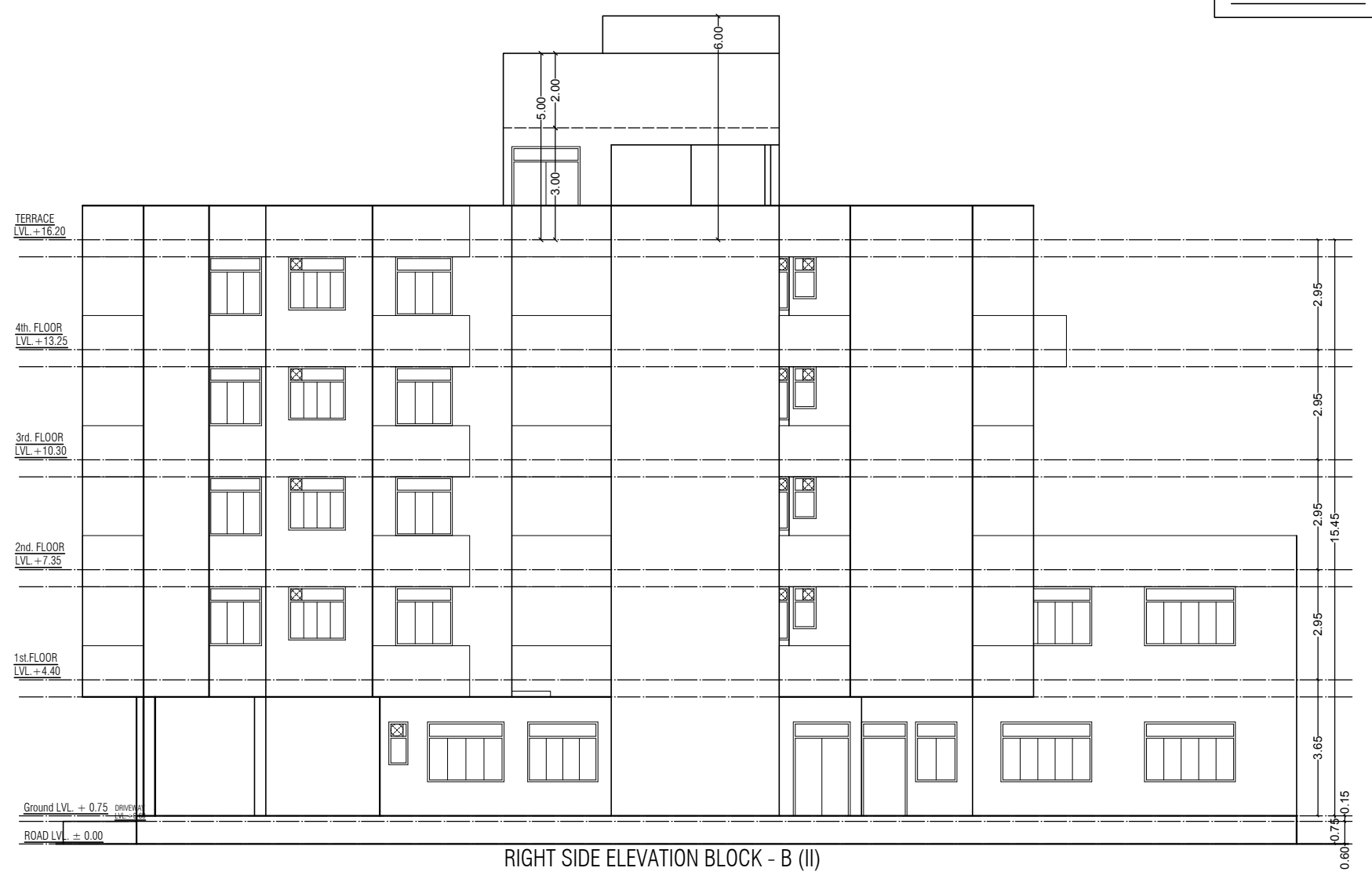
PROJECT :-
PROPOSED RESIDENTIAL (GROUP HOUSING PLOT)
SINGLE PATTA FLATS IN KHASRA NO. 58
AT VILLAGE - DHAWAS, TEH. - JAIPUR, DIST. - JAIPUR.

OWNER

ARCHITECT :-
SPACE GRID
C-49, VIDYA APARTMENT, PARAS MARG,
BAPU NAGAR, NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAIPUR-302015
PH-09314918766, 0141-4005506 (O)
Email:-info.spacegrid@gmail.com



FRONT ELEVATION BLOCK - B (II)



RIGHT SIDE ELEVATION BLOCK - B (II)



BACK SIDE ELEVATION BLOCK - B (II)

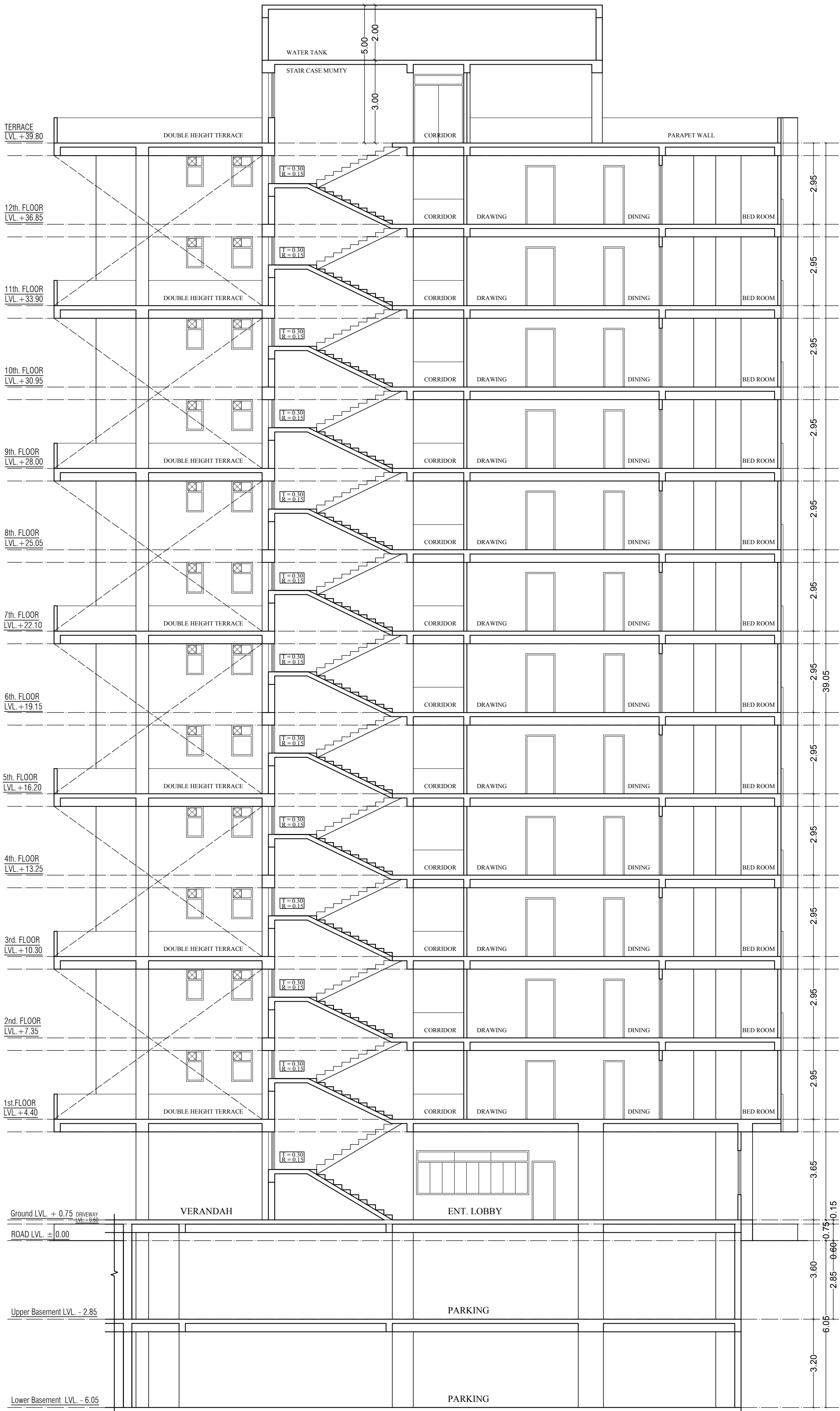
SCALE = 1:100

PROJECT :-
PROPOSED RESIDENTIAL (GROUP HOUSING PLOT)
SINGLE PATTI FLATS IN KHASRA NO. 58
AT VILLAGE - DHAWAS, TEH. - JAIPUR, DIST. - JAIPUR.

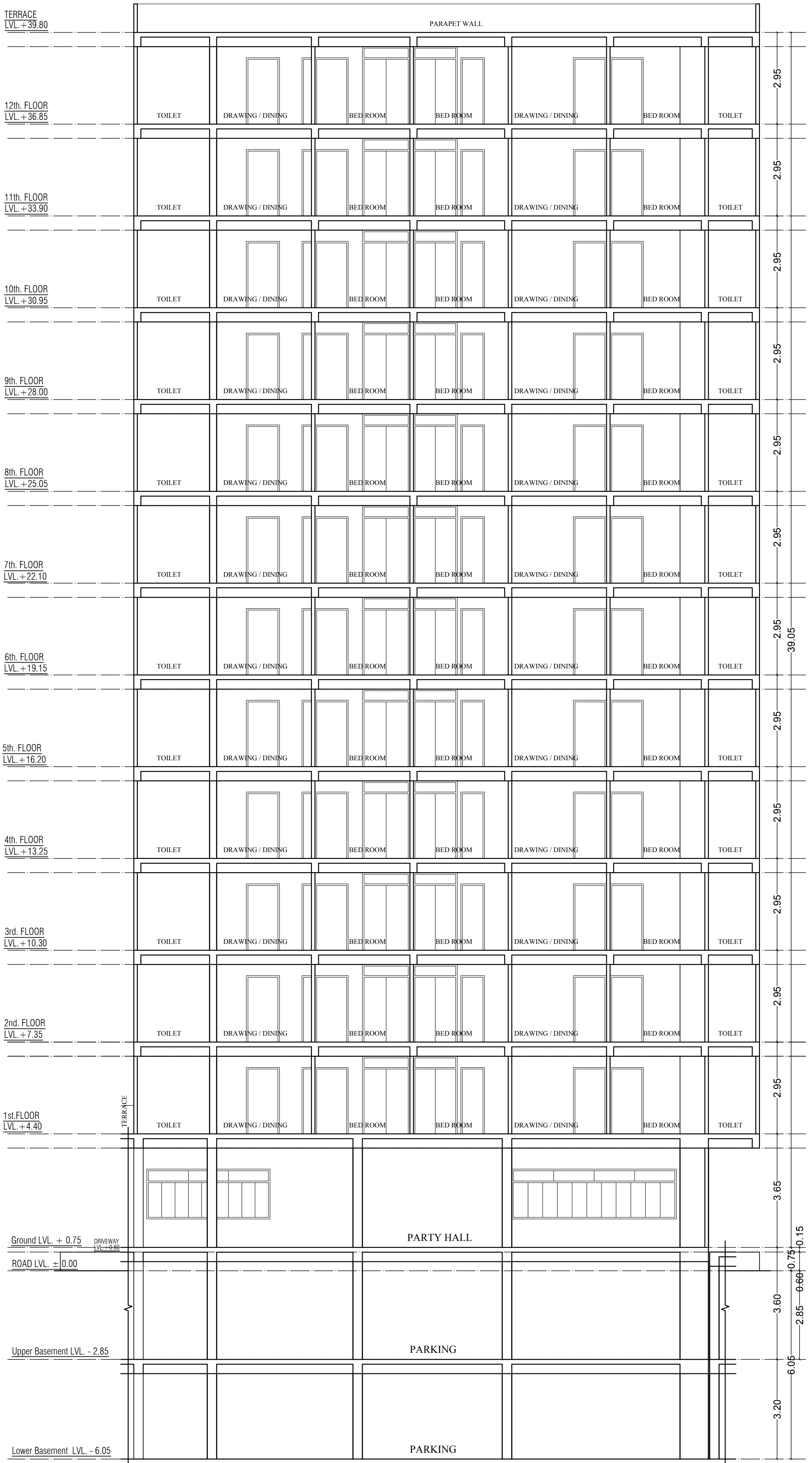
OWNER

ARCHITECT :-

SPACE GRID
C-43 VIDYA APARTMENT PARKS MARG,
BAPU NAGAR NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAIPUR-302015
PH-09314918166,0141-4005506 (O)
Email- info.spacegrid@gmail.com



SECTION AT S1-S1 BLOCK - B (I)



SECTION AT S2-S2 BLOCK - B (I)

PROJECT :-

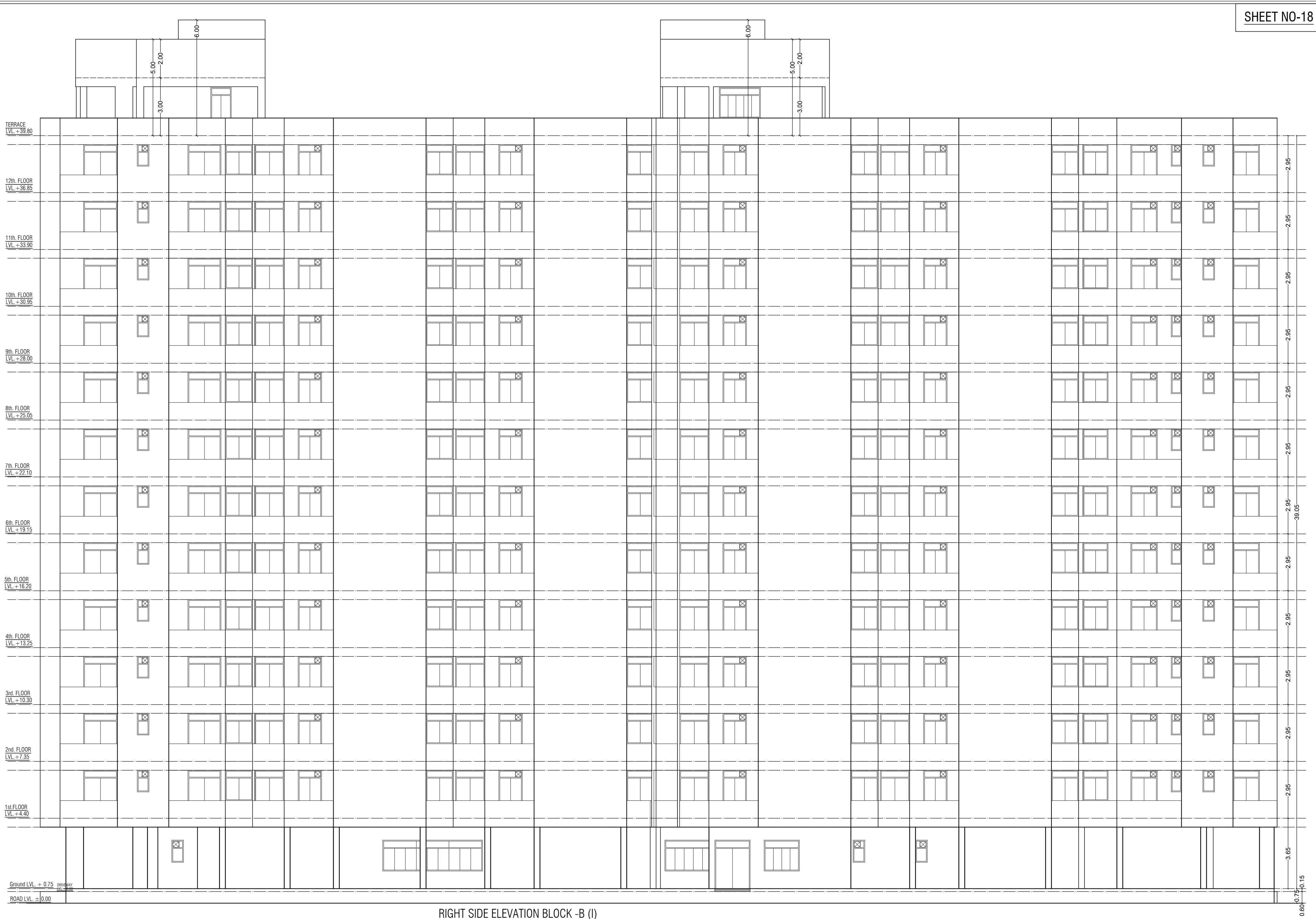
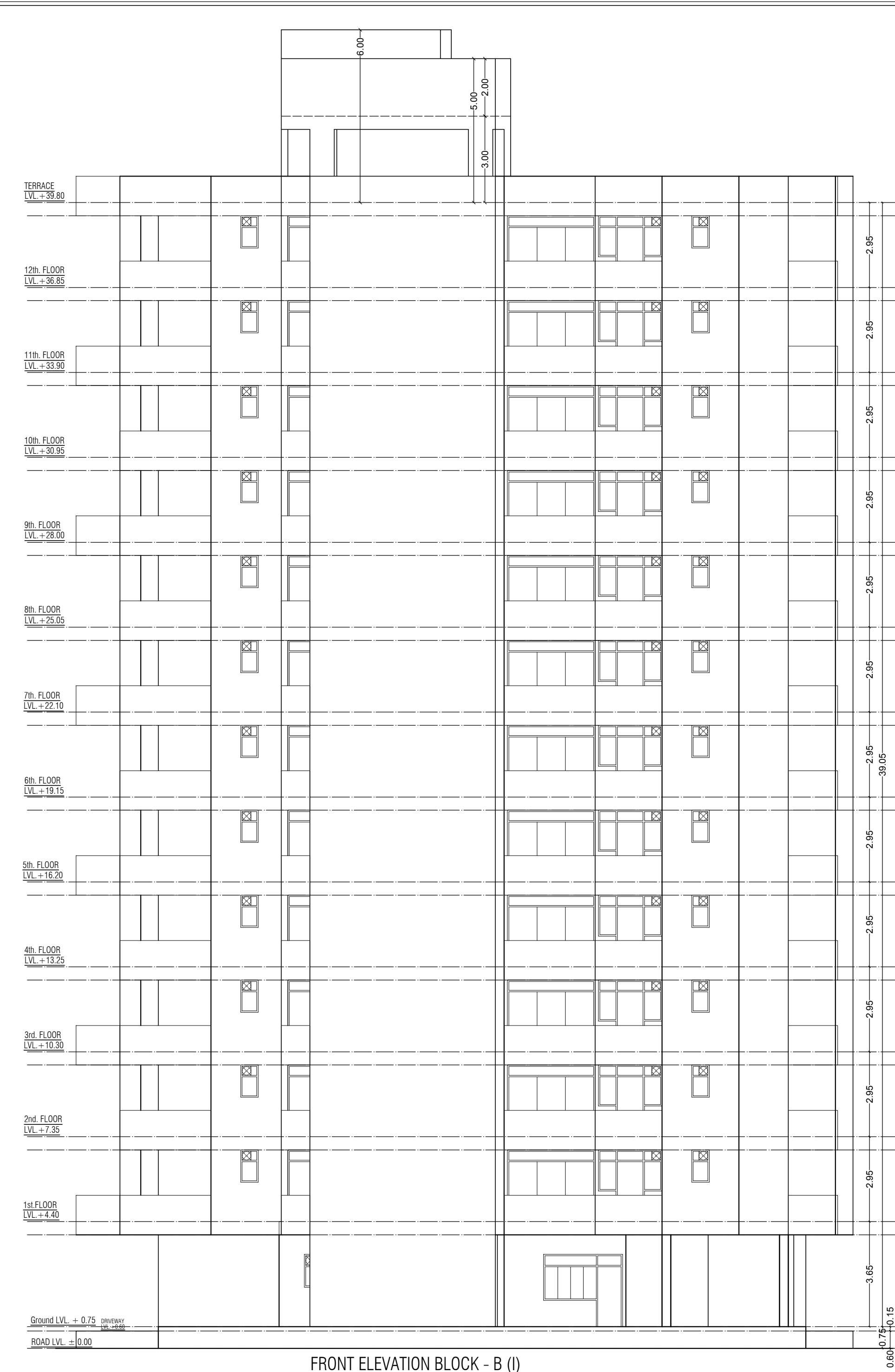
PROPOSED RESIDENTIAL (GROUP HOUSING PLOT)
SINGLE PATTI FLATS IN KHASRA NO. 58
AT VILLAGE - DHAWAS, TEH. - JAIPUR, DIST. - JAIPUR.

OWNER

ARCHITECT :-

SPACE GRID
C-49, VIDYA APARTMENT, PARAS MARG,
BAPU NAGAR, NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAIPUR-302015
PH-09314918766, 0141-4005506 (O)
Email:-info.spacegrid@gmail.com

SCALE = 1:100



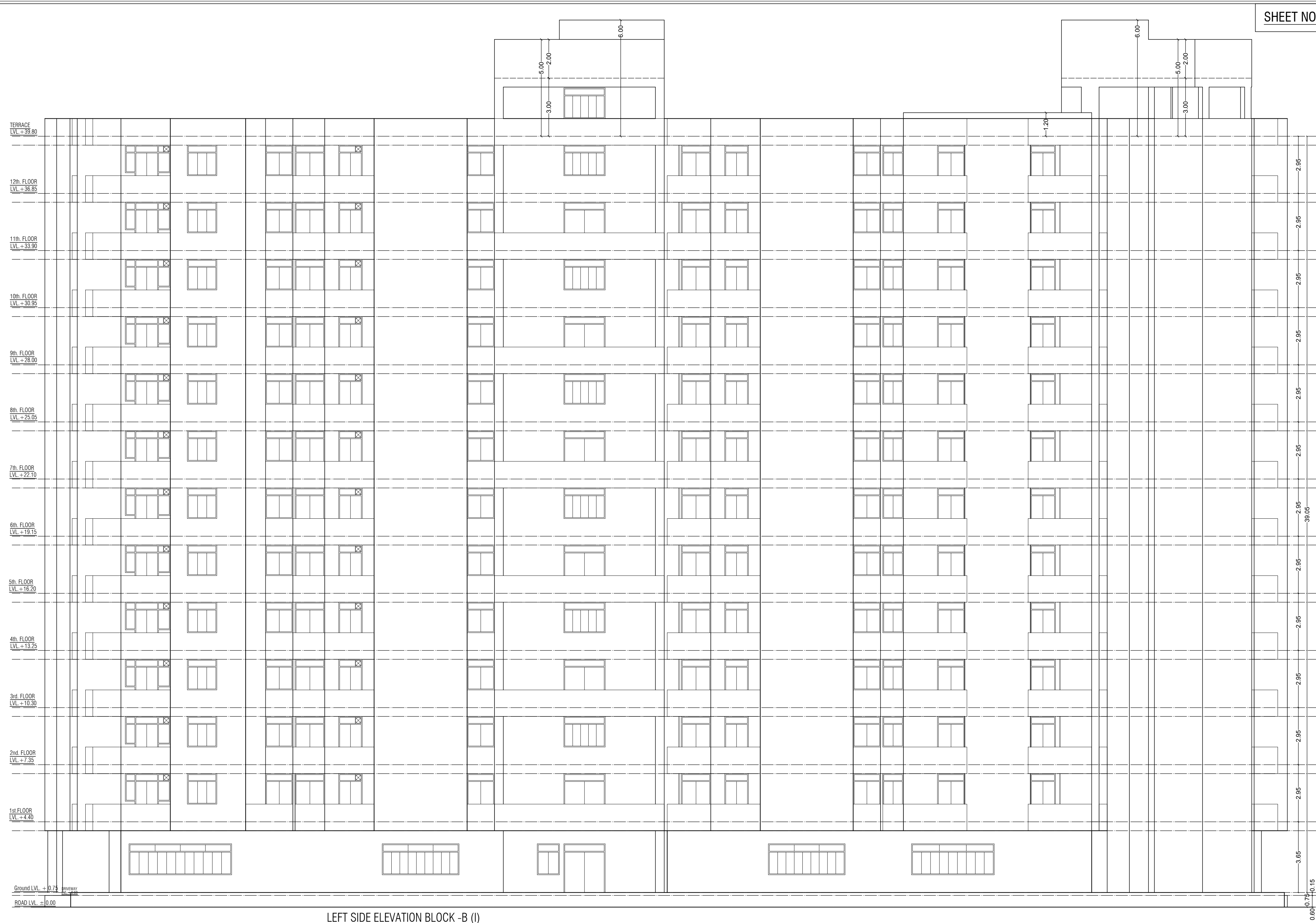
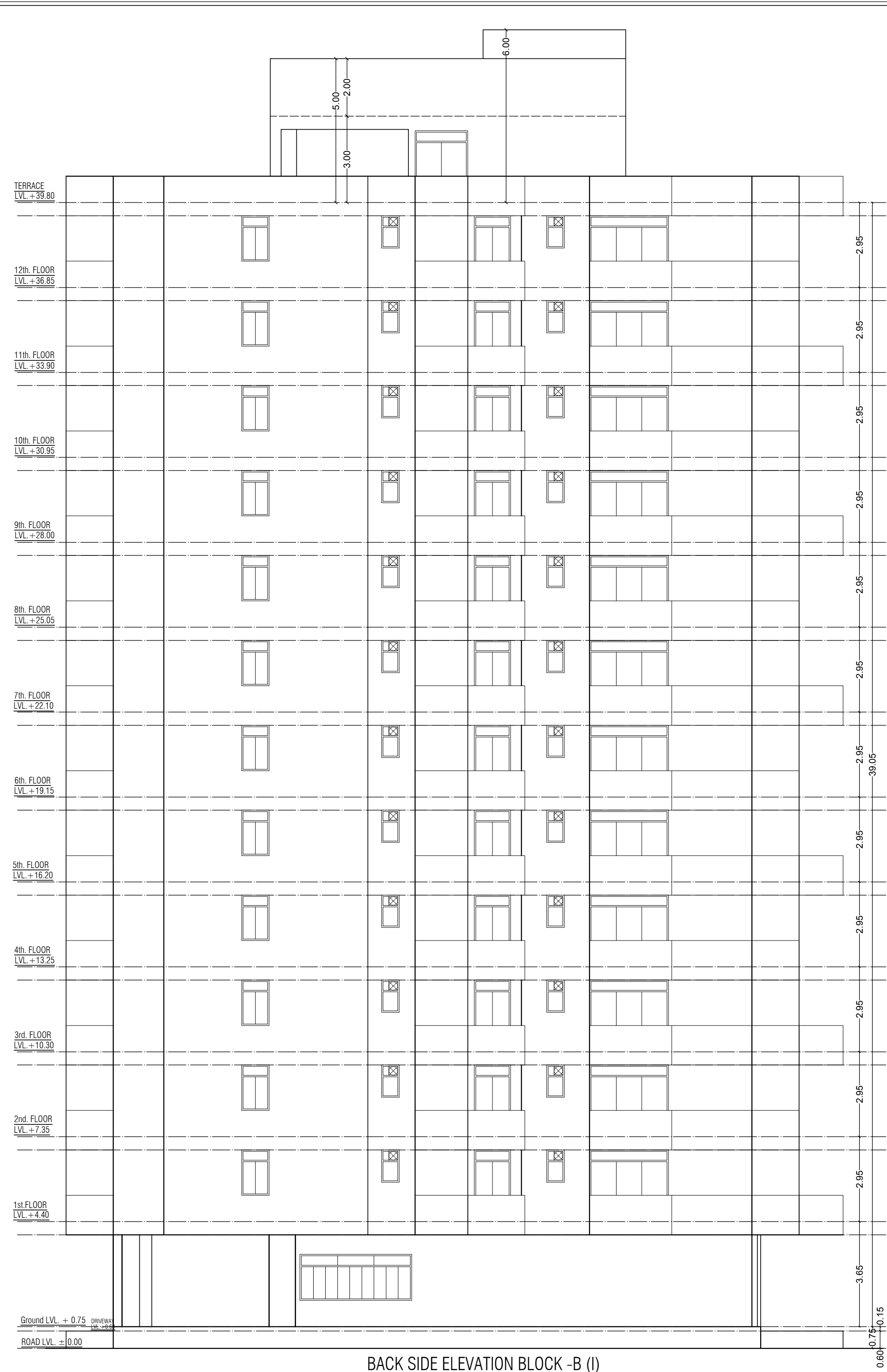
SCALE = 1:100

PROJECT :-
PROPOSED RESIDENTIAL (GROUP HOUSING PLOT)
SINGLE PATTA FLATS IN KHASRA NO. 58
AT VILLAGE - DHAWAS, TEH. - JAIPUR, DIST. - JAIPUR.

OWNER

ARCHITECT :-

SPACE GRID
C-49, VIDYA APARTMENT, PARAS MARG,
BAPU NAGAR, NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAIPUR-302015
PH-09314918766, 0141-4005506 (O)
Email:-info.spacegrid@gmail.com



SCALE = 1:100

PROJECT :-
PROPOSED RESIDENTIAL (GROUP HOUSING PLOT)
SINGLE PATTA FLATS IN KHASRA NO. 58
AT VILLAGE - DHAWAS, TEH. - JAIPUR, DIST. - JAIPUR.

OWNER

ARCHITECT :-
SPACE GRID
C-49, VIDYA APARTMENT, PARAS MARG,
BAPU NAGAR, NEAR JANTA STORE CIRCLE,
JAIPUR-302015
PH-09314918766, 0141-4005506 (O)
Email:-info.spacegrid@gmail.com